पुनः निविदा

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

–::00 निविदा सूचना 00::–

क्रमांक/आब./सी.एस.एम.सी.एल./2019/688 दन्तेवाड़ा, दिनांक 19/11/2019

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दन्तेवाड़ा जिले में संचालित मदिरा दुकाने क्रमशः 1–देशी मदिरा दुकान दन्तेवाड़ा आधौगिक क्षेत्र टेकनार रोड दन्तेवाड़ा, 2–विदेशी मदिरा दुकान दन्तेवाड़ा आधौगिक क्षेत्र टेकनार रोड दन्तेवाड़ा, 3–विदेशी मदिरा दुकान हारम, 4–विदेशी मदिरा दुकान बचेली दशरथ पारा वार्ड क्र. 1, 5–विदेशी मदिरा दुकान किरन्दुल पटवारी पारा, में मदिरा के खाली कार्ट्न/ खाली शीशी (कांच की) के विक्रय हेतु वर्ष 2019–20 के शेष बची अवधि अर्थात दिनांक 31.03.2020 तक के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/आब./सी.एस.एम.सी.एल./2019/455 दन्तेवाड़ा दिनांक 29.07.2019 द्वारा शर्तो के अधीन इच्छुक खरीददारों से निविदा आमत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि में निविदा आवेदन प्राप्त नही होने की दशा मे पुनः निविदा सील बन्द लिफाफे में दिनांक 25.11.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी संयुक्त जिला कार्यालय भवन प्रथम तल के कक्ष क्रमांक 17 जिला दन्तेवाड़ा में आमंत्रित की जाती है।

निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा को जिला स्तरीय गठित विक्रय समिति द्वारा दिनांक 25.11.2019 को सायं 05:00 बजे खोली जावेगी। खाली शीशी तथा खाली कार्ट्न की पृथक–पृथक सीलबंद निविदाएं जिला आबकारी अधिकारी सह, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के नाम व्यक्तिशः या स्पीड पोस्ट से अंतिम तिथि तक कार्यालय में पहुच जाना चाहिए। समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा, वह स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। सीलबंद लिफाफों के ऊपर विषय अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। निविदा खुलने के समय निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

–::00 निविदा शर्ते 00::–

(1) चयनित निविदाकार को जिले की प्रत्येक मदिरा दुकानों में प्रति सप्ताह पहुंच कर मदिरा के खाली कार्ट्न और खाली शीशी का क्रय करना होगा।

(2) सुरक्षा निधि की राशि रूपये 5000/– (पांच हजार रूपये) मात्र बैंक ड्राफ्ट जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के नाम से देय होगा।

(3) खाली कार्ट्न एवं खाली शीशी के विक्रय राशि का नगद भुगतान दुकान में उपस्थित सुपरवाईजर को करना होगा।

(4) किसी भी समय बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा।

(5) निविदा का प्रारूप एवं मदिरा दुकानों की अवस्थिति की जानकारी अवकाश दिवसों को छोड़कर शेष दिवसों में कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी संयुक्त जिला कार्यालय भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 17 जिला – दन्तेवाड़ा से प्राप्त की जा सकती है।

(6) जिला प्रबंधक किसी भी मितव्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासन हित में जो भी अन्य शर्ते लगाना उचित होगा लगाया जा सकता है उसे मान्य करना होगा।

19/11/19
कलेक्टर,
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

पृ0क्रमांक/आब./सी.एस.एम.सी.एल./2019/688-A दन्तेवाड़ा, दिनांक 19/11/2019

प्रतिलिपि :–

1. उप–संचालक जनसंपर्क जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य विक्रय समिति की ओर प्रेषित। आज दिनांक 25.11.2019 को साय 05:00 बजे मुहरबंद निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यो का सम्पादन करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर दन्तेवाड़ा की वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।

19/11/19
कलेक्टर,
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)